न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 139/2024 राजस्व वाद

01. श्री सूरज पुत्र सत्यनारायण वलाई आयु वयस्क निवासी— पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)
वादी —

बनाम

01. सोनी पत्नि स्व. रामा नायक उम्र वयस्क निवासी वलिया खेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
——— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :—
1. श्री अशोक कुमार लखारा, —अधिवक्ता वादीगण
2. एकपक्षीय— प्रतिवादीगण

::निर्णय:: दिनांक 30.12.2024

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादी एवं प्रतिवादी सख्या 01 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई ,चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक 24.08.2024 से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या—01 लगायत 02 उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता ने बहस करने का निवेदन किया, बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएवः

::आदेश::

सरहद गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 487 मे आराजी नम्बर 1230/861 मे वादी एंव प्रतिवादी के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :—

(01) खातेदार का नाम— श्री सूरज पुत्र सत्यनारायण बलाई निवासी— पुर भीलवाडा के नाम पर—

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01	1230/861 (क)	0.3583 हैक्टयर

Vger
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

योग	कुल किता 01	0.3583 हैक्टयर

(02) खातेदार का नाम– सोनी पत्नि स्व. रामा नायक सा0 बलिया खेडा के नाम पर–

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01.	1230/861 (ख)	0.0717 हैक्टयर
योग	कुल किता 01	0.0717 हैक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 30/12/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 139/2024 राजस्व वाद

01. श्री सूरज पुत्र सत्यनारायण बलाई आयु वयस्क निवासी– पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)
वादी –

बनाम

01. सोनी पत्नि स्व. रामा नायक उम्र वयस्क निवासी बलिया खेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
––– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 तरेपन रा॰टि॰ए॰
वाद बाबत् विभाजन आराजियात

वादी की ओर से श्री अशोक कुमार लखारा, एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 की अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 30.12.2024 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि **शून्य** को दी जायें।

सरहद गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 487 मे आराजी नम्बर 1230/861 मे वादी एंव प्रतिवादी के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

(01) खातेदार का नाम– श्री सूरज पुत्र सत्यनारायण बलाई निवासी– पुर भीलवाडा के नाम पर–

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01	1230/861	0.3583 हैक्टयर
योग	कुल किता 01	0.3583 हैक्टयर

(02) खातेदार का नाम– सोनी पत्नि स्व. रामा नायक सा0 बलिया खेडा के नाम पर–

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01.	1230/861	0.0717 हैक्टयर
योग	कुल किता 01	0.0717 हैक्टयर

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रेकार्ड मे अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 30.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)